



**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**  
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
**U.P. POWER CORPORATION LIMITED**  
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ  
CIN : U32201UP1999SGC024928

सं०- I/36738/2026 /Comp no-12218/E-7/PO/HP

दि०- 06-01-2026

**उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं इसकी सहायक कंपनियों तथा उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन नीति-2024- (प्रथम संशोधन)**


उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मंडल की दि० 12.11.2025 को संपन्न बैठक में लिए गये निर्णय के अनुपालन में एतद्वारा इस कार्यालय के पत्र सं० 1155-अ-7/मु०अ०(हा०)/आवास नीति-2024 दि० 11-11-2024 के माध्यम से निर्गत की गयी उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं इसकी सहायक कंपनियों तथा उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन नीति-2024 के बिन्दु सं० 05(i) में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है-

सं०	वर्तमान व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
05 (i)	जनपद लखनऊ में स्थित कालोनियों में आवास आवंटित किये जाने का कार्य निम्नांकित आवास आवंटन समिति द्वारा किया जायेगा-  1. अपर सचिव-तृतीय, उ०प्र०पा०का०लि - अध्यक्ष 2. मुख्य अभियंता (हाइडिल), उ०प्र०पा०का०लि० - सदस्य 3. मुख्य महाप्रबंधक (लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०- सदस्य	05(i).जनपद लखनऊ स्थित विभागीय कालोनियों के आवासों के आवंटन हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जाता है-  1. अपर सचिव-प्रथम, उ०प्र०पा०का०लि० - अध्यक्ष 2. मुख्य अभियंता (हाइडिल), उ०प्र०पा०का०लि० - सदस्य 3. उप महाप्रबंधक (लेखा एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०का०लि० - सदस्य  जनपद लखनऊ में स्थित कालोनियों हेतु आवश्यकतानुसार आवास आवंटन समिति का गठन/पुनर्गठन करने के लिए अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० अधिकृत होंगे।

**निदेशक मण्डल की आज्ञा से**

**प्रति-**

1. निदेशक (का०प्रब० एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।
2. अपर सचिव-प्रथम, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।
3. उप महाप्रबंधक (लेखा एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।
4. मुख्य अभियन्ता (जानपद), नवम् तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
5. अधिशासी अभियन्ता (जानपद), विद्युत जानपद निर्माण खण्ड प्रथम, अलीगंज, पुरनिया लखनऊ ।
6. अधिशासी अभियन्ता(वेब), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कारपोरेशन की वेबसाईट के “Employee Corner/ कर्मचारी कार्नर” के “Departmental House Allotment/ विभागीय आवास आवंटन” के अन्तर्गत अपलोड करने का कष्ट करें ।



(सूरज पाल)

कार्मिक अधिकारी

कृते मुख्य अभियन्ता (हाईडिल)